न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—231/2018/225 (2018/00231)

1. रामकिशन पुत्र हजारी, जाति भांबी, निवासी ग्राम केबानियां, तह0 टांटोटी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. गायड़ उर्फ गायड़िया पुत्र श्रवण,
2. ओगड़, पुत्र अन्ना,
3. केमा पत्नी अन्ना,
4. बेनाराम पुत्र पूसा,
   समस्त जाति रेबारी, निवासीगण ग्राम केबानियां, तहसील टांटोटी, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टांटोटी, जिला अजमेर ।
6. जगन्नाथ पुत्र हजारी, जाति भांबी, निवासी ग्राम केबानिया, तह0 टांटोटी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 31.5.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 93/2017.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 4.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 5.
4. रेस्पो0 संख्या 3 व 6 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 30.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 31.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 92—ए, 188 व 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या नया 20 पुराना 18 के खसरा नंबर 276 रकबा 1.21 है0 जो ग्राम केबानियां में स्थित है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की पुश्तैनी आराजियात है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये विरासत प्राप्त हुई है तथा खातेदारी में इंद्राज है लेकिन वादी बाहर रहने से नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने बिना बताये राजस्व अधिकारियों से मिलीभगती कर बंटवारा करवा लिया तथा बिना वादी की जानकारी में लाये वाद में वर्णित आराजी को गुपचुप तरीके से हस्तातंरण करने के

आशय से प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को काबिज करवा दिया है जबकि विवादित आराजी वादी के पिता को आवंटन होने से जरिये विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम गलत इंद्राज होने से उन्होंने धमकी दी की हमने कब्जा कर लिया है इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 31.5.2018 को प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना तलब किये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पत्रावली को कैम्प में नियत कर केवल अप्रार्थी संख्या 1 को सुना जाना अंकित कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने में भारी भूल की है। अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली दिनांक 18.4.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व कैम्प में वास्ते राजीनामा हेतु दिनांक 31. 5.2018 को ग्राम पंचायत केबानियां में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये। जब उनके समक्ष किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत ही नहीं हुआ तो फिर पत्रावली को निर्णित नहीं किया जा सकता था इसके बावजूद अपीलांट के प्रार्थना पत्र को अपने एकपक्षीय आदेश दिनांक 31.5.2018 द्वारा स्वीकार करने में भारी भूल की है । अधी0न्याया0 के समक्ष कैम्प में यदि अपीलांट उपस्थित नहीं नहीं हुए तथा राजीनामा नहीं हुआ अथवा पक्षकार उपस्थित नहीं हुए तो फिर पत्रावली न्यायालय नियमित सुनवाई हेतु नियत की जानी चाहिये थी क्योंकि रेस्पो0 संख्या 1 के प्रार्थना पत्र का अभी जवाब प्रस्तुत होना शेष था । अधी0न्याया0 को अपूर्ण पत्रावली में निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था । प्रकरण में पक्षकारों की तलबी भी शेष थी । अधी0न्याया0 रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर लेते तो यह स्पष्ट हो जाता कि रेस्पो0 के द्वारा प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को काबिज करवा दिया है जब अपीलांट विवादित आराजी के काबिज काश्त है तो फिर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती थी । अपीलांट विवादित आराजी पर वर्षो से काबिज काश्त है तथा रेस्पो0 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । विवादित आराजी अपीलांट की अन्य खातेदारी की आराजी के अंदर है लेकिन अधी0न्याया0 ने वर्तमान राजस्व रिकार्ड को आधार मानकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । विवादित आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त है, जिसके संदर्भ में मौतबीरान व्यक्तियों के द्वारा इकरारनामा बाबत् राजीनामा भी प्रस्तुत हुआ था इसलिये द्वितीय पक्षकार गायड को रेस्पो0 संख्या 1 है ने अपीलांट का कब्जा होना स्वीकार किया है तो भी स्वीकृति से बड़ी कोई साक्ष्य नहीं हो सकती है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 4 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है। विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 1, 2, 3 व 4 के नाम खातेदारी में दर्ज होकर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा एक रिकार्डेड खातेदार

काश्तकार अपनी आराजियात में अन्य काश्तकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु रेस्पो0 के पक्ष में पाये जाने से अधी0न्याया0 ने अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । राजस्व जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नंबर 276, 329, 366 ओगड़ वल्द अन्ना, कमो पत्नि अन्ना 1/3 हिस्सा, गायडिश्या पि0 श्रवण हिस्सा 1/3, बेनाराम पुत्र पूसा हिस्सा 1/3 कौम रेबारी सा0देह खातेदार राहिन गायडिया का हिस्सा आई0सी0आई0सी0आई0 बान्दनवाड़ा मूर्तहीन दर्ज है । तत्पश्चात् विभाजन नामांतकरण संख्या 1175 दिनांक 7.7.2016 से प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 गायड़ के नाम खसरा संख्या 276/1 रकबा 0.39 है0 खातेदारी में दर्ज किया गया है । उक्त इंद्राज से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 276/1 रकबा 0.39 है0 का खातेदार काश्तकार प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 गायड़ पुत्र श्रवण है । खातेदारी काश्तकार की आराजियात में अन्य व्यक्तियों या काश्तकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण/अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.5.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.7.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर